

अदालत:- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- राजाखेडा

घर्मन्द्र बनाम रामलक्षिन वगै०

किस्म मुकदमा:- दावा U/S 88, 188 RTA नम्बर..... 73 सन् 22

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14.06.2022	दावा बाद जांच दफ्तर से पेश हुआ। दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 04.07.2022 को पेश हो।	
4 ⁰⁷ / ₂₂	पत्रावली पेश हुई। कार्यालय में नोटिस जारी किये जा चुके हैं। अतः पत्रावली वास्तु इंटरजाल वाली दिनांक 12/09/22 को पेश हो।	
12 ⁹ / ₂₂	वकील वकील उप.। पत्रा. वास्तु इंटरजाल वाली दि. 30/11/22 को पेश हो।	
30 ¹¹ / ₂₂	वकील वकील उप.। पत्रा. वास्तु इंटरजाल वाली दिनांक 18/01/23 को पेश हो।	
18 ¹ / ₂₃	पत्रावली पेश हुई। न तो लादीके अधिकारता में न लादीगण न्यायालय में उप. हुई। बार-2 बार लगाई गई। कई न्याया. में उप. नहीं हुआ। अतः पत्रावली अदम्य दायिती अदम्य पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा (धौलपुर)